

प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र के विभागों; राजस्व क्षेत्र के विभागों एवं इकाइयों तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उल्लेखनीय लेखापरीक्षा परिणाम शामिल हैं।

प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टान्त वैसे हैं, जो 2018-19 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आये तथा वैसे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाये गए किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके। जहाँ कहीं आवश्यकता थी, 2018-19 की अवधि के बाद से संबंधित मामले भी सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा व लेखा विनियमों के अनुरूप किया गया है।

